

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अन्वेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(4) () विकास/सान्याअवि/13/ 68564


जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2013

आदेश

विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4) () विकास/सान्याअवि/09/64707 दिनांक 18.11.2009 द्वारा जारी महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता नियम, 1997 (संशोधन-2009) के नियम-4 के उप नियम-1 में किये गये संशोधित आदेश क्रमांक एफ.7 (4) () विकास/सान्याअवि /11/91321 दिनांक 9.12.2011 के अनुसार गाड़िया लोहारों को मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 45000/-रुपयें को बढ़ाकर 70,000/- रुपयें (अक्षरें सत्तर हजार) किये जाते हैं, तथा नियम-4 के उप नियम-4 में स्वीकृत अनुदान राशि तीन किश्तों में देय होगी-प्रथम किश्त 25,000/-रुपयें, द्वितीय किश्त 25,000/-रुपयें एवं तृतीय किश्त 20,000/-रुपयें दी जावेगी। आवास निर्माण इदिसा आवास योजना की अनुरूप न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र में किया जावेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161301125 दिनांक 24.07.2013 एवं आगोलना विभाग की आई.डी. क्रमांक 411/पी-5/2013 दिनांक 11.09.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


19/9/13
आयुक्त

क्रमांक: एफ.7(4) () विकास/सान्याअवि/13/ 68565-715 जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सान्याअवि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त,.....।
7. समस्त जिला कलेक्टर,.....।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.....।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. उप शासन सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. अतिरिक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
14. गार्ड फाइल।


12-9-13
उप निदेशक (पि.जा.)